

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री बृजमोहन बैरवा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 54/2017 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

दायर दिनांक 29.12.2017

निर्णय दिनांक 22.01.2018

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्रीराम मिश्रा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री नारायण लाल पुत्र श्री नानालाल गाडरी (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्स तुलसी एन्टरप्राइजेज स्वास्तिक सिनेमा के सामने स्टेशन रोड कांकरोली
2. श्री विकास कुमार शर्मा (एकजीक्यूटिव स्वालिटी) (नोमिनी)
मैसर्स बिसलरी इन्टरनेशनल प्रा.लि. ई-12 ए रोड नं1 बीकेआई एरिया जयपुर
3. फर्म नोमिनी, मैसर्स , बिसलरी इन्टरनेशनल प्रा.लि. ई-12 ए रोड नं1
बीकेआई एरिया जयपुर
4. श्री विकास पाण्डे (मैनेजर प्रोडेक्शन) (नोमिनी) मैसर्स बिसलरी इन्टरनेशनल प्रा.लि.
प्लॉट नं.55 एवं 65 सेक्टर 4 आई.आई.ई. पंतनगर रूद्रपुर जिला उधमपुर नगर
उत्तराखण्ड
5. फर्म नोमिनी , मैसर्स बिसलरी इन्टरनेशनल प्रा.लि.
प्लॉट नं.55 एवं 65 सेक्टर 4 आई.आई.ई. पंतनगर रूद्रपुर जिला उधमपुर नगर
उत्तराखण्ड

- विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

० निर्णय ०

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री श्रीराम मिश्रा ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर मिस ब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री नारायणलाल गाडरी पुत्र श्री नानालाल (विक्रेता एवं मालिक) जो की Sweetend Carbonated Water (SPYCL Bisleri) बेचने का कार्य करता है । इनकी दूकान मैसर्स तुलसी एन्टरप्राइजेज स्वास्तिक सिनेमा के सामने स्टेशन रोड कांकरोली पर दिनांक 13.05.2016 को समय 05..00 पी०एम० पर वास्ते चेकिंग पहुंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन



32

5

दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया। वक्त निरीक्षण दूकान पर 8 कार्टूनस में 24 इन्टू 8 कुल 192 बाटल्स प्रत्येक 200 एमएल Sweetend Carbonated Water (SPYCL Bisleri) आम जनता को विक्री हेतु रखी हुई थी। इसमें मिलावट का शक होने पर सबस्टेडर्ड Sweetend Carbonated Water (SPYCL Bisleri) की 60 सील्ड बाटल्स प्रत्येक 200 एम.एल. वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी गई। खरीदी गई Sweetend Carbonated Water (SPYCL Bisleri) जिसकी कीमत विक्रेता को रुपये 480/- नगद दी गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ Sweetend Carbonated Water (SPYCL Bisleri) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा Sweetend Carbonated Water (SPYCL Bisleri) को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना सील्ड पैकेटस पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई 547 नियमनुसार चारो नमूना सील्ड पैकेटस पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय(खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2016/2655 दिनांक 13.08.2016 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/245/एक्ट/2016/329 दिनांक 14.06.2016 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना देशी घी (पालीवाल) मिस ब्राण्ड होना पाया गया व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूनों की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। अभिहित अधिकारी एवं संभाग स्तरीय(खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर के पत्र क्रमांक 3652 दिनांक 28.12.2017 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है,

32


को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षीगण फर्म द्वारा जूर्म स्वीकार कर लेने एवं लेबल मिस ब्राण्ड को ठीक कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा जूर्म स्वीकार कर लेने के कारण गवाहान इत्यादि को बुलाया जाना उचित नहीं समझा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का Sweetend Carbonated Water (SPYCL Bisleri) मिस ब्राण्ड होना पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006, नियम-2011 की धारा 26 (II) का उपयोग करते हुए उक्त केस में मिस ब्राण्ड Sweetend Carbonated Water (SPYCL Bisleri) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी फर्म मैसर्स बिसलरी इन्टरनेशनल प्रा.लि. ई-12 ए रोड नं1 बीकेआई एरिया जयपुर को कुल 10,000/- रुपये (अक्षरे रूपया दस हजार रुपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
अतिरिक्त राजसमन्द जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द